

Ten

राजस्थान सरकार
राजस्थान सरकार

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

O/PA/Die/P.H.
1590
1 - JUL 2010
D.M. & H.S. (P.H.)
Adele (H.A.)

क्रमांक: प.16(5)चिस्वा / 2 / 1998

जयपुर, दिनांक: 29-06-10

परिपत्र

विषय :- नि:शक्त व्यक्ति अधिनियम, 1996 के संशोधित नियमों की पालना के क्रम में।

इस विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.06.2000 के पेशा संख्या-2 के द्वारा राज्य में नि:शक्त व्यक्तियों के लिये प्रमाण पत्र राजकीय अस्पतालों में व मेडिकल बोर्ड के द्वारा तीन विषय विशेषज्ञ के द्वारा बनाये जाने के निर्देश हैं तथा तीन चिकित्सकों में से जारी किये जाने वाले प्रमाण पत्र के विषय का विशेषज्ञ चिकित्सक होना आवश्यक है, में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 30.12.09 की पालना में आंशिक संशोधन कर निर्देश किये जाते हैं कि :-

"अब एक चिकित्सक जो विषय विशेषज्ञ हो, के द्वारा यह नि:शक्त प्रमाण पत्र दिया जावेगा। जो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जावेगा। एक से ज्यादा विकलांगता हो तो सर्टिफिकेट बोर्ड के द्वारा ही देय होगा।"

ह
(आर.सी.डेनवाल)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है :-

- 1- आयुक्त नि:शक्त जन, जी-3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल के पीछे, रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर।
- 2- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा।
- 3- समस्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राज. जयपुर। [PH]
- 4- समस्त प्रधानाचार्य एवं अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज व अस्पताल राजस्थान।
- 5- समस्त संयुक्त निदेशक, जौन-राजस्थान।
- 6- समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
- 7- समस्त प्रमुख चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को प्रेषित कर लेख है कि कृपया समस्त संबंधित चिकित्सकों को अवगत कराने का श्रम करें।
- 8- रक्षित पत्रावली।

अनुभागाधिकारी